न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 62 / 2013

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 मुकेश पुत्र हरिकिशन जाति माली चौहान निवासी सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज		01 देवाराम पुत्र चौथाराम 02 भैराराम पुत्र गेनाराम 03 जरसाराम दत्तक पुत्र कानाराम कौम सीरवी निवासीगण धाकडी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। 04 तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थिति:–

1. **श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
2. **श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगगण उपस्थित।**

–: निर्णय :– दिनांक – 18/03/2023

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बागावास तहसील सोजत में स्थित खसरा नंबर 177 रकबा 0.9000 हैक्टर किस्म बा.अ. की भूमि वादी की खरीदसुदा, कब्जा काश्त सुदा व खातेदारी की भूमि स्थित है। उक्त भूमि तिजाई बेवा लुम्बाराम कौम सीरवी निवासी बागावास के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि थी। जिसका वादी ने दिनांक 12/6/1998 को जरिए बेचान रजिस्ट्री खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त भूमि खसरा नंबर 177 के पुराने खसरा नबंर 56 थे, जिसका कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा था। लेकिन राजस्व रेकर्ड में तिजाई के नाम खसरा नंबर 177 रकबा 0.9000 हेक्टर भूमि का ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था जबकि कब्जा काश्त तिजाई का पुराने खसरा नंबर 56 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा पर था। सेटलमेंट अधिकारियों को राजस्व रेकर्ड में बिना न्यायालय की अनुमति के हैरा फैरी करने का कोई अधिकार नहीं था तथा तिजाई ने भी बेचानसुदा भूमि व शेष अपनी कब्जासुदा भूमि का वादी को कब्जा काश्त सुपुर्द किया था । उक्त भूमि के चारों तरफ धोरापाली व कांटों की बाड़ की हुई है, जो करीब 50 वर्षो से अधिक समय से की हुई है। उपरोक्त भूमि को वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है तथा वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तथा पुराने खसरा नंबर 56 की शेष भूमि के बीच रास्ता तरमीम किया हुआ है लेकिन सेटलमेंट के पूर्व ट्रेस नक्शे में कोई रास्ता नहीं था। इसलिए बाद में राजस्व अधिकारियों को नक्शे में रास्ता तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी की खरीदसुदा भूमि तथा शेष बची भूमि पर भी पिछले 14 वर्षो से अधिक समय से शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक एवं बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादग्रस्त भूमि भी खसरा नंबर 93 व 94 ग्राम बागावास की भूमि नहीं है। खसरा नंबर 93 व 94 ग्राम बागावास की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम की है। खसरा नंबर 93 व 94 तथा वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा भूमि के बीच धोरापाली पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से किया हुआ है जो मौके पर कायम है। लेकिन प्रतिवादीगण की नियतबद होने से येनकेन प्रकारेण वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नंबर 177 रकबा 0.9000 हैक्टर एवं उक्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 56 की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला पाली

सम्पूर्ण भूमि पर वादी का शांति पूर्वक कब्जा काश्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती से लाठी लकडी के बल पर धोरापाली को बिखेरने पर तुले हुए है और इसी नियत से दिनांक 1/2/2013 को प्रतिवादीगण को वादी को एलानिया धमकिया दी कि वादग्रस्त भूमि व तुम्हारे कब्जा काश्त सुदा भूमि पर की हुई धोरापाली व कांटों की बाड़ को जबरदस्ती बिखेर देगे व तुम्हारे (वादी) कब्जा काश्त सुदा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर देगे। वादी ने खरीदसुदा भूमि खसरा नबर 177 रकबा 0.9000 हैक्टर व उक्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 56 की शेष भूमि पर पिछले 14 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त होने से एडवर्स पजेशन (Adverse possession) के आधार पर स्वत: ही खातेदार काश्तकार घोषित हो गया है। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं होने की वजह से प्रतिवादीगण पुराने खसरा नबंर 56 की शेष 0.9000 हैक्टर भूमि जिस पर वादी का कब्जा है व धोरापाली व कांटो की बाड की हुई है से बेदखल करने की फिराक में है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 विधि विरूद्ध ढंग से वादी को पुराने खसरा नबंर 56 की सम्पूर्ण भूमि से बेदखल कर देगे तो वादी को रूपयो मे न आंकी जा सकने वाली अपूर्णिय क्षति होगी। बिनायदावा दिनांक 1/2/2013 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा वादी को बेदखल करने की धमकी देने से एवं वादग्रस्त भूमि पर की हुई धोरापाली एवं कांटों की बाड को हटाने की धमकी देने से पैदा हुआ, जिससे वाद अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार वाद पत्र पेश कर सरहद मौजा बागावास के खसरा नंबर 56 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा में से नये खसरा नंबर 177 रकबा 0.9000 हैक्टर की भूमि को छोड़ कर शेष बची भूमि रकबा 0.9000 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज किया जावे। स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि सरहद मौजा बागावास के पुराने खसरा नबंर 56 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखल अन्दाजी करे एवं न ही अपने नौकरों एजेन्टों आदि से ही करावे। विकल्प में वादग्रस्त भूमि को खसरा नबंर 93 व 94 की भूमि मानी जाती है तो एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी को रकबा 0.9000 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्राथी संख्या 01 से 03 की ओर अधिवक्ता श्रीम महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा एवं जबाब दावा पेश कर अंकित किया है कि सरहद मौजा बागावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 177 रकबा 0. 9000 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी हो तो वादी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। उक्त कृषि भूमि तिजाई बेवा लुम्बाराम कौम सिरवी के नाम की हो तो प्रतिवादीगण को जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादी ने दिनांक 12/6/1998 को खसरा नम्बर 177 रकबा 0.9000 हैक्टर खरीद किया हो तो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पुराने खसरा नम्बर 56 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा हो तो प्रतिवादीगण को जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादी ने खसरा नम्बर 177 रकबा 0.9000 हैक्टर खरीद करना बताया है इसलिए रकबा 0.9000 हेक्टर से अधिक कृषि भूमि का कोई किसी प्रकार से हक अधिकार होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादी ने वर्ष 1998 में कृषि भूमि खरीद करना बताया है तथा 50 वर्षों से कब्जासुदा एवं काटो की बाड़ व धोरा पाली होना बता रहा है जो एक हास्यप्रद है। वादी ने शेष भूमि होना वादपत्र में बताया लेकिन वह कौन से खसरा नम्बर के है। अंकित नही किया है। वादी को किसी भी रास्ते की भूमि के अलामात मिटाने एवं रास्ते के असतित्व को समाप्त करने का कोई हक अधिकार को नही है। ग्राम धाकडी से बागावास के खेतों में जाने हेतु एक रेकर्डेड कच्चा रास्ता स्थित है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया हुआ है। उक्त रास्ता कदीमी से राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुदा है।

सोजत, जिला-पाली

वादी ने शेष भूमि होना अंकित किया लेकिन शेष भूमि किस खसरे की है। अंकित नही किया है तथा शेष भूमि किस जगह पर है, अंकित नही किया है। मौके पर ऐसी कोई भूमि पडत नही है वादी ने वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 93 व 94 ग्राम बागावास की भूमि नही होना बताया है तथा खसरा नम्बर 93 व 94 ग्राम बागावास की भूमि प्रतिवादीगण की कब्जा काश्तसुदा है, जो सही है। जिस पर प्रतिवादीगण बिना किसी रोक टोक के काबिज काश्त चले आ रहे है। खसरा नम्बर 177 रकबा 0.9000 हैक्टर के अलावा कौनसी शेष भूमि है तथा किस खसरे की कृषि भूमि है. वादी ने वादपत्र में अंकित नहीं किया है। खसरा नम्बर 56 की सम्पूर्ण भूमि कौनसी है ? वादी ने वाद मे स्पष्ट नही किया है। यदि वादी की किसी अन्य कृषि भूमि पर कब्जा है या कब्जा होना बताता है तो वह अतिचारी है तथा कोई भी अतिचारी को एडवर्स पजेशन के आधार पर दावा लाने हेतु कतई हक व अधिकार नही है, न ही खातेदारी अधिकार घोषित कराने का अधिकारी है। दिनांक 1/2/2013 को वादी को कतई बिनायदावा उत्पन्न नही होता है। वादपत्र का पद संख्या 4, 5 कानूनी है। वादपत्र का पद संख्या 4 वादी की इस्तदूआ है जो वादी कतई प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावा में विशेष उजरात इस प्रकार अंकित की है कि वादी ने वादपत्र में पुराने खसरा नम्बर 56 एवं नये खसरा नम्बर 177 रकबा 0.9000 हैक्टर कृषि भूमि बाबत वादपत्र पेश किया गया है, उक्त पुराने खसरा नम्बर 56 से कौनसे नया खसरा नम्बर बने तथा उनके खातेदार कौन है स्पष्ट नही किया है, वादी ने प्रतिवादीगण को बिल्कुल ही गलत पक्षकार बनाया है। इसलिए विशेष हर्जाना रूपये 10,000/– दस हजार रूपये वादी से प्राप्त करने के प्रतिवादीगण अधिकार है। अतः जवाबदावा पेश कर वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी द्वारा पस्तुत जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया मौजा बागावास तहसील सोजत के पुराने खसरा नम्बर 56 रकबा साढ़े ग्यारह बीघा था, जिसके नये खसरा नम्बर 177 रकबा 0.9000 हैक्टेयर दर्ज किये गये। अतः शेष 0.9000 हैक्टेयर भूमि का वादी खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है।

(जिम्मे वादी)

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

(जिम्मे वादी)

3. आया दिनांक 01.02.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादी को वादस्थ भूमि से बेदखल करने की धमकी देने के कारण वादकरण उत्पन्न हुआ है।

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण के मुख्य परीक्षण हेतु वादी स्वयं, चेनाराम, किशन, के तस्दीक शुदा शपथ पत्र पीडब्ल्यू–01 से पीडब्ल्यू–03 पेश किए। मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं तथा चेनाराम, किशन के बयान कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा ग्राम बागावास की जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 प्रदर्श–01 है, ग्राम बागावास की जमाबन्दी सम्वत 2066– 2069 खाता संख्या 192 प्रदर्श–2 है, बेचान रजिस्ट्री दिनांक 12.06.1998 मूल प्रदर्श–3 व इसकी छाया प्रति प्रदर्श–03 ए है। भू0प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान प्रदर्श–4 है। जिन्हे प्रदर्शितकरवाये गये जिरह

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

प्रतिवादी अधिवक्ता श्री महेन्द्र [illegible] की गई। [illegible] दिनांक 30.03.2022 को शहादत वादी बन्द की गई। [illegible] नही करना चाहने से शहादत प्रतिवादी बन्द की [illegible]

बहस वकलाय सुनी गई एवं [illegible] ने व्यक्त किया कि सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने [illegible] 1/2 बिधा भूमि के नये खसरा नम्बर 177 [illegible] कर दिया। प्रिन्सीपल विकेता द्वारा [illegible] रकबा 0.90 हैक्टर भूमि भी वादी को बेचान कर दी [illegible] वादी को खातेदारी दर्ज की जावे। जवाब बहस में [illegible] वादी द्वारा कौनसे खसरे में से 0.90 हैक्टर भूमि [illegible] अंकन राजस्व वाद में नही किया है। [illegible] रूप में किया जाता है। वादी ने खसरा नम्बर [illegible] अंकित नही किया है। वादी द्वारा गलत आधार पर [illegible] खारिज होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई [illegible] परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाव दावा साक्ष्य सबूतों के [illegible] जिरह प्रतिवादी पर लिये गये बयानात एवं स्वतंत्र गवाह के [illegible] आधार पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय [illegible] है–

1. आया मौजा बागावास तहसील सोजत के पुराने खसरा नम्बर 56 रकबा [illegible] बीघा था, जिसके नये खसरा नम्बर 177 रकबा 0.9000 हैक्टेयर दर्ज किये गये [illegible] 9000 हैक्टेयर भूमि का वादी खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है।

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रदर्श–3 ए. वादी द्वारा खरीद की गई वादग्रस्थ भूमि की जमाबन्दी पेश की है। जिसमें वादी द्वारा अपने प्रिन्सिपल विकता से मौजा बागावास के खसरा नम्बर 177 रकबा 0.9000 हैक्टर की भूमि खरिद की जाना स्पष्ट होता है। जिरह में वादी द्वारा अपने बयानो में स्वीकार किया कि " जितनी जमीन कय की हुई उतनी ही रजिस्ट्री में लिखी गई थी। " अपने जिरह में वादी द्वारा यह भी स्वीकार किया कि खरीद की गई भूमि पर मेरा कब्जा है। वादी ने खसरा नम्बर 177 रकबा 0.9000 हैक्टर खरीद करना बताया है। खरीद की गई भूमि से अधिक भूमि रकबा 0.9000 हेक्टर वादी को कौनसे खसरा नम्बर की भूमि में से दिया जावे एवं किस भूमि में से कम कर वादी को उस भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे यह वाद व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नही होता है अर्थात वादी शेष बताई गई भूमि पर अपना हक अधिकार साबित करने में विफल रहा लिहाजा तनकी संख्या 01 विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

(जिम्मे वादी)

प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज बागावास खसरा नम्बर 73, 93, 94 के खातेदार काश्तकार है। वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि ग्राम बागावास के खसरा नम्बर 73, 93, 94 गत खसरा 56 से बने है। मात्र विकल्पेन भूमि मानते हुए एडवर्स पेजशन के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही है। लिहाजा तनकी संख्या 02 बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

3 आया दिनांक 01.02.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने के कारण वादकरण उत्पन्न हुआ है।

तिथि वादी।

तनकी संख्या 01 व 02 विरूद्ध वादी तय की गई है। तनकी संख्या 01 व 02 वादी के विरूद्ध तय होने व वादी को सकल विवादकों को साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने पक्ष में साबित करने मे असफल रहा है। वादी को दिनांक 01.02.2013 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के अंकित तथ्य को वादी साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित करने में असफल रहा है जिससे विवादक संख्या 03 भी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत नवाब दावा दस्तावेजात तस्दीक शुदा शपथपत्रो व शपथ पत्रों पर लिपिबद्ध बयान व बयानो पर की गई जिरह का गहनता से अध्ययन कर बहस तकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित करने में विफल रहा है। वाद में कायम किए गये विवाद संख्या 01 से 03 भी बहक प्रतिवादी व विरूद्ध वादी तय किये गये है। लिहाजा वादी का वाद खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अत: वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों से साबित करने में विफल रहा है। वाद मे कायम किए गये विवाद संख्या 01 से 03 बहक प्रतिवादी व विरूद्ध वादी तय किये गये है। वादी का वाद खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/09/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत